

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(ले. व ह.) छत्तीसगढ़, बलौदा
वाजार रोड, जीरो प्वाइंट, रायपुर,
छत्तीसगढ़



OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
Chhattisgarh, Baloda Bazar Road,
Zero Point, Raipur- 492005

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक/प्रशासन-II/F-230/का.आ.-10

दिनांक: 09/04/2025

कार्यालय आदेश

संभागीय लेखापाल (परिवीक्षाधीन) के लिये संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा 2025 निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार इस कार्यालय के व्ही. एल. सी. प्रशिक्षण हाल, तृतीय तल, ए ब्लॉक में आयोजित की जाएगी।

प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ पैटर्न पर आधारित होगी तथा प्रश्न पत्र 1 एवं 6 के व्याख्यात्मक/व्यावहारिक भाग पेन पेपर मोड पर एवं प्रश्न पत्र 7 के IT Practical भाग कंप्यूटर पर होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने एवं छूट प्राप्त करने हेतु कम से कम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

क्र.	दिनांक	दिन	समय	प्रश्न पत्र	विषय
1.	22/04/2025	मंगलवार	11:00 A.M. से 01:30 P.M.	Paper-I	Essay or Precis, Grammar, Letters & Drafting
			02:30 P.M. से 04:30 P.M.	Paper-2	Bookkeeping, Government & Commercial Accountancy
2.	23/04/2025	बुधवार	11:00 A.M. से 01:00 P.M.	Paper-3	Mandate of the CAG of India and Service Regulations
			02:30 P.M. से 04:30 P.M.	Paper-4	Government Audit and Basic Concepts of Taxation
3.	24/04/2025	गुरुवार	11:00 A.M. से 01:00 P.M.	Paper-5	General Accounts, Treasury, Financial & Contract Rules (Central & State Governments)
			02:30 P.M. से 05:00 P.M.	Paper-6	Public Works Accounts & Procedure
4.	25/04/2025	शुक्रवार	11:00 A.M. से 01:30 P.M.	Paper-7	Information Technology (IT)

सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के प्रशासन-II अनुभाग से दिनांक 17.04.2025 को प्रवेश पत्र प्राप्त करें तथा प्रवेश पत्र हेतु साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो इस अनुभाग में प्रस्तुत करें।

(प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक: 08/04/2025)

हस्ता/-

उप महालेखाकार (लेखा)

पृ.क्र./प्रशासन-II/F-230/का.आ.-10/ S.T.R. I/17

दिनांक: 09/04/2025

प्रतिलिपि: सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

1. सचिवालय/प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. सचिवालय/उप महालेखाकार (लेखा)।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सर्वर (स्थानीय) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/गोपनीय कक्ष (स्थानीय)।
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सामान्य अनुभाग (स्थानीय) को परीक्षार्थियों हेतु बैठक एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु।
6. संबन्धित सम्भागीय लेखापाल (परिवीक्षाधीन) (व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से)।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशा.-II